संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 01/2012-एस.सी.आर.ए. **दिनांक : 22.10.2011**

(आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 21.11.2011)

स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज परीक्षा, 2012

(आयोग की वेबसाइट - http://www.upsc.gov.in)

फा.सं. 5/1/2011-प. 1 (ख)-भारत के राजपत्र दिनांक **22 अक्तूबर, 2011** में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार भारतीय रेलवे के यांत्रिक विभाग में स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसेज की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **29 जनवरी, 2012** को एक परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
ऐजल	इंफाल	पोर्ट-ब्लेयर
इलाहाबाद	ईटानगर	रायपुर
बंगलौर	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मदुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुंबई	विशाखापटनम
दिसपुर	नागपुर	

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीख में परिवर्तन कर सकता है. यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिये उनकी पसंद के केन्द्र देने के सभी प्रयास किये जायेंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपने विवेक से अलग केन्द्र दे सकता है. जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जायेगी. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा. किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेज देना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है. ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा. किंतु **20 दिसम्बर, 2011** के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या **42** है.

टिप्पणी : चार रिक्तियां प्रकार्यात्मक वर्गीकरण ओ एल, ओ ए सहित चलने में असमर्थ शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं.

उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है.

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सरकार द्वारा नियत रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा.

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों से या पूर्वी जांबिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया और वियतनाम से आया हो. परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलटी) प्रमाणपत्र होना चाहिए.

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने पर ही दिया जाएगा.

(II) आयु-सीमा : (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु पहली जनवरी 2012 को 17 वर्ष हो चुकी हो लेकिन 21 वर्ष न हुई हो. अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी, 1991 से पहले और पहली जनवरी, 1995 के बाद का न हो.

(ख) ऊपरी आयु-सीमा में निम्न प्रकार से छूट प्राप्त है :

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक.

(ii) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू आरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं.

(iii) ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, अधिकतम 5 वर्ष तक.

(iv) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक जो किसी अन्य देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों.

(v) जिन भूतपूर्व सैनिकों, (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने पहली जनवरी, 2012 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्यमुक्त हुए हैं, (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल पहली जनवरी, 2012 से एक वर्ष के अंदर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा में हुई शारीरिक अपंगता, या (3) अक्षमता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक.

(vi) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पहली जनवरी 2012 तक पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन हो जाने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा.

(vii) नेत्रहीन, मूक-बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक.

टिप्पणी-I : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (II) (ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात्, जो भूतपूर्व सैनिकों, जम्मू तथा कश्मीर राज्य में अधिवास करने वाले शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु-सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे.

टिप्पणी-II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है.

टिप्पणी-III : आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित वे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन अधिकारी, जो स्वयं के अनुरोध पर सेवामुक्त हुए हैं, उन्हें उपर्युक्त पैरा 3(II) (ख) (v) तथा (vi) के अधीन आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी-IV : उपर्युक्त नियम 3(II) (ख) (vii) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को आवंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की, अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

ऊपर उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी.

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्ज हो. ये प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद प्रस्तुत करने हैं. आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे. अनुदेशों के इस भाग में आये हुए

महत्त्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तो को पूरा करते है

शर्तो को पूरा करने की शर्त के अध्यधीन पूर्णत: अनंतिम होगा ।

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है

उम्मीदवारों के साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हक घोषित किए जाने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों की जांच की जाती है

2. आवेदन कै

उम्मीदवार **http://www.upsconline.nic.in** वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए संक्षेप में अनुदेश परिशिष्ट II में दिए गए है

अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है

3. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन पत्र 21 नवम्बर, 2011 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक भरे जा सकते है

बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा ।

4. गलत उत्तरों के लिये दंड :

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ¼_णात्मक अंकन½ दिया जायेगा ।

5. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच आयोग परिसर में गेट 'सी' के निकट संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/ 011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते है

6. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है

संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है

जाने वाली परीक्षाओं से विवर्जन सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है

सहित कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न लाएं, क्योंकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती ।

7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है

लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती । आयोग इस संबंध में किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करने की जरूरत है
किसी दूसरे मोड द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है

आवेदन पत्र प्राप्त हाने की निर्धारित अंतिम तारीख ही अ.पि.व. के उम्मीदवारों की स्थिति (क्रीमी लेयर सहित) के निर्धारण की तारीख मानी जाएगी।

"सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।"

''मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र'' वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं.

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा न उसे स्वीकार किया जायेगा.

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में (या बाद की किसी अन्य परीक्षा में) किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए. यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरूद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

(III) शैक्षिक योग्यताएं :

उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार ने -

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो, ऐसे गणित के स्नातक भी, जिन्होंने भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों में से कम से कम किसी एक को डिग्री के विषय के रूप में लिया हो, आवेदन कर सकते हैं; अथवा

(ख) स्कूली शिक्षा की (10+2) प्रणाली के अंतर्गत हायर सैकेण्डरी (12 वर्ष) परीक्षा गणित के साथ और भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय लेकर प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा या ग्रामीण उच्चतर शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रथम परीक्षा पास की हो या मद्रास विश्वविद्यालय (सान्ध्य कालेज) के स्नातक कला विज्ञान के चार वर्षीय पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रोन्नति के लिए तीसरे वर्ष की सेवा परीक्षा पास की हो जिसमें गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक विषय रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर/माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो. जिन उम्मीदवारों ने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में गणित के साथ और भौतिकी और रसायन विज्ञान में से एक विषय के साथ पास की हो वे आवेदन प्रपत्र भेज सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(घ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की पूर्व इंजीनियरी परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो; या

(ङ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड की पूर्व व्यवसायिक/पूर्व तकनीकी परीक्षा जो उच्चतर माध्यमिक या पूर्व विश्वविद्यालय स्तर के एक वर्ष के बाद ली गई हो प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो और परीक्षा के विषयों में गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में कम से कम एक परीक्षा का विषय रहा हो; या

(च) किसी विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो

जिन उम्मीदवारों ने पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो वे आवेदन पत्र भेज सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि प्रथम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो; या

(छ) केरल और कालीकट के विश्वविद्यालयों से गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय लेकर पूर्व-स्नातक परीक्षा, प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो.

टिप्पणी (1) : जिन उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट या उपर्युक्त किसी अन्य परीक्षा में कोई विशिष्ट श्रेणी न दी गई हो उन्हें भी शैक्षणिक दृष्टि से पात्र समझा जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनके प्राप्तांकों का कुल योग संबंधित विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अंकों की सीमा में हो.

टिप्पणी (2) : ऐसे उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने के पात्र बनते हैं लेकिन जिसके परीक्षाफल की सूचना उन्हें नहीं मिली है इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन प्रपत्र भेज सकते हैं. यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठ रहे हों तो वह भी आवेदन प्रपत्र दे सकते हैं. ऐसे उम्मीदवारों को यदि वह अन्यथा पात्र हों, तो परीक्षा में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन उनके प्रवेश को अनंतिम समझा जाएगा तथा अर्हक परीक्षा को पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में रद्द कर दिया जायेगा. उक्त प्रमाण परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी (3) : आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो लेकिन ऐसी अर्हताएं हों, जिसके स्तर के बारे में आयोग का यह मत हो कि उनके आधार पर उसे परीक्षा में प्रवेश देना उचित है.

टिप्पणी (4) : राज्य तकनीकी-शिक्षा बोर्ड द्वारा दिए गए इंजीनियरी डिप्लोमा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं है.

(IV) शारीरिक मानक :

उम्मीदवार को स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2012 के लिए भारत के राजपत्र दिनांक 22 अक्तूबर, 2011 में यथा प्रकाशित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा 2012 की नियमावली के परिशिष्ट-II में दिये गये शारीरिक मानकों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.

4. शुल्क :

(क) उम्मीदवारों को ₹ 50/- (रुपये पचास मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा./महिला/विकलांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा.

जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें फर्जी भुगतान मामला समझा जाएगा और ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने की अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी. इन आवेदकों को ई-मेल के जरिए यह भी सूचित किया जाएगा कि वे आयोग को किए गए अपने भुगतान के प्रमाण की प्रति ई-मेल में उल्लिखित पते पर भेजें। आवेदकों को ऐसे पत्र व्यवहार का प्रमाण 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा. यदि आवेदक की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तब उनका आवेदनपत्र तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा.

जिन आवेदन पत्रों में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा. यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं है जो निम्नलिखित अनुच्छेदों के अनुसार शुल्क में छूट का दावा करते हैं.

सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा.

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन पदों के लिए चिकित्सा आरोग्यता (शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों. आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट का दावा करने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने शारीरिक रूप से विकलांग होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण- पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी.

टिप्पणी : आयु सीमा में छूट/शुल्क में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को आवंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो.

टिप्पणी : किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किए गए शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर न तो विचार किया जाएगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा.

5. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार **http://www. upsconline.nic.in** वेबसाइट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है

आवेदकों को केवल एक ही आवेदनपत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है, तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश यदि वह अन्य एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है. वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदनपत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है. एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदनपत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा.

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए.

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहें हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो लोक-उद्यमों में सेवारत हैं उनको लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित करना है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई प्रपत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है.

नोट 1 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए. एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग केन्द्र दर्शाते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में, स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणी आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा.

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं. परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण, में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा तथा उनके निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा. यदि लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उक्त लिखित परीक्षा का परिणाम जिसके मार्च/अप्रैल, 2012 में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रलेखों की अनुप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें :

1. आयु का प्रमाण-पत्र.
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र जिसमें परीक्षा के विषयों का उल्लेख हो.
3. जहां लागू हो, वहां निर्धारित प्रपत्र में अजा, अजजा तथा अन्य पिछड़ी श्रेणी का होने के दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र.
4. जहां लागू हो, वहां आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र.
5. जहां लागू हो, वहां शारीरिक रूप से विकलांग होने के समर्थन में प्रमाण पत्र.

परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत आवेदन प्रपत्र भेजेगा. उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां इस प्रपत्र के साथ आयोग को भेजनी होंगी. मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे. यदि उनके द्वारा दिये गये दावे सही नहीं पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा भारत के राजपत्र दिनांक 22 अक्तूबर, 2011 में अधिसूचित स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसेज परीक्षा, 2012 के नियमों के नियम 11 जो कि नीचे पुनः उद्धरित है, के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है.

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है :

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, **या**

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, **या**

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना, **या**

(iv) जाली प्रलेख या फेर बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत करना, **या**

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना, या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, **या**

(vi) उक्त परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में कोई अनियमित या अनुचित साधन अपनाना, **या**

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, **या**

(viii) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, **या**

(ix) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, **या**

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार से शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, **या**

(xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, **या**

(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, **या**

(xiii) ऊपर खंडों में उल्लिखित सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न करना या करने के लिए किसी को उकसाया हो, तो उस पर अपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है और/या

(ख) (I) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए;

(II) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और स्थायी रूप से या कुछ अवधि के लिए विवर्जित, किया जा सकता है; और

(ग) अगर वह सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र होगा.

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर उसको न दिया गया हो, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो.

6. आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **21 नवम्बर, 2011, रात्रि 11.59 बजे** तक भरे जा सकते हैं जिसके पश्चात लिंक निरूपयोज्य होगा.

7. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग तीन सप्ताह पहले या तो पेपर प्रमाणपत्र या ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. ई-प्रवेश पत्र का तरीका या तो ई-मेल के माध्यम से होगा (आवेदक द्वारा आवेदन पत्र भेजते समय जैसा मुहैया कराया गया है) या वे इसे संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

(ii) **यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए.** ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी अनुलिपि भेज दी जायेगी. इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/011-23381125/ 011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है. **यदि किसी उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा.**

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें.

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा. यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्याधीन होगा.

(iii) केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं. उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है. आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी. उक्त परीक्षा हेतु उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने तथा वह परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं, इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.

उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप से लिखे जा सकते हैं.

(iv) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदनपत्र में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आईडी मान्य और सक्रिय है.

(v) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए. आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता.

(vi) उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण प्रपत्र/ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने की स्थिति में, परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही प्रवेश प्रमाण प्रपत्र/ई-प्रवेश पत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य के बारे में आयोग के कार्यालय को सूचित करना चाहिए.

(vii) यदि उम्मीदवार को आयोग से निपटान की चूक के कारण किसी दूसरे उम्मीदवार से संबंधित प्रवेश प्रमाण प्रपत्र/ई-प्रवेश पत्र मिल जाये तो उसे आयोग को तुरंत सही प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र जारी करने के निवेदन के साथ सूचित करना चाहिए. उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी आवेदन प्रपत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

महत्त्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए.

1. परीक्षा का नाम और वर्ष.
2. रजिस्ट्रेशन आई.डी. (आर.आई.डी.).
3. अनुक्रमांक यदि प्राप्त हुआ हो.
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता.

ध्यान दें : (i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए. ध्यान दें : (ii) यदि किसी उम्मीदवार से कोई पत्र/संप्रेषण, परीक्षा हो चुकने के बाद, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

ध्यान दें : (iii) उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्र की संख्या भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेनी चाहिए.

8. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किए जाने के लिए उनकी अक्षमता चालीस प्रतिशत (40%) या उससे अधिक होनी चाहिए. तथापि ऐसे उम्मीदवारों से निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं में से एक या अधिक जो संबंधित सेवाओं/पदों में कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक हो, पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी.

कोड	शारीरिक अपेक्षाएं
एमएफ (MF)	1. हस्तकौशल (अंगुलियों से) द्वारा निष्पादन किए जाने वाले कार्य.
पीपी (PP)	2. खींच कर तथा धक्के द्वारा किए जाने वाले कार्य.
एल (L)	3. उठाकर किए जाने वाले कार्य.
केसी (KC)	4. घुटने के बल बैठकर तथा क्राउचिंग द्वारा किए जाने वाले कार्य.
बीएन (BN)	5. झुककर किए जाने वाले कार्य.
एस (S)	6. बैठकर (बेंच या कुर्सी पर) किए जाने वाले कार्य.
एसटी (ST)	7. खड़े होकर किए जाने वाले कार्य.
डब्ल्यू (W)	8. चलते हुए किए जाने वाले कार्य.
एसई (SE)	9. देखकर किए जाने वाले कार्य.
एच (H)	10. सुनकर/बोलकर किए जाने वाले कार्य.
आरडब्ल्यू (RW)	11. पढ़कर तथा लिखकर किए जाने वाले कार्य.
सी (C)	12. वार्तालाप

संबंधित सेवाओं/पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनके मामलों में कार्यात्मक वर्गीकरण/निम्नलिखित में से एक या अधिक होगा :

कार्यात्मक वर्गीकरण

कोड	कार्य
बीएल (BL)	1. दोनों पैर खराब लेकिन भुजाएं नहीं.
बीए (BA)	2. दोनों भुजाएं खराब क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता
बीएलए (BLA)	3. दोनों पैर तथा दोनों भुजाएं खराब
ओएल (OL)	4. एक पैर खराब (दायां या बायां) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. एटेक्सिक
ओए (OA)	5. एक भुजा खराब (दाईं या बाईं) क. दुर्बल पहुंच ख. पकड़ की दुर्बलता ग. एटेक्सिक
बीएच (BH)	6. सख्त पीठ तथा कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)
एमडब्ल्यू (MW)	7. मांसपेशीय दुर्बलता या सीमित शारीरिक सहनशक्ति.
बी (B)	8. नेत्रहीन.
पीबी (PB)	9. आंशिक नेत्रहीन.
डी (D)	10. बधिर.
पीडी (PD)	11. आंशिक बधिर.

9. आवेदन प्रपत्र की वापसी :

आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

10. परीक्षा की योजना, पाठ्य विवरण, आवेदन प्रपत्र भरने के लिए मार्गदर्शक संकेत, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिसेज के लिए अप्रेन्टिसशिप की शर्तें, वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश क्रमशः परिशिष्ट-I, II, III तथा IV में दिए गए हैं.

(कुलदीप कुमार सहरावत)
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I
परीक्षा की योजना

खण्ड-I

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी.

भाग-1 : नीचे दर्शाए गए विषयों में अधिकतम 600 अंकों की लिखित परीक्षा.

भाग-2 : व्यक्तित्व परीक्षण जिसमें अधिकतम अंक 200 होंगे. यह केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है जो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सफल घोषित किए जाएंगे.

2. भाग-1 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक विषय/प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित समय और अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :

विषय	कोड संख्या	अनुमत समय	अधिकतम अंक
प्रश्न पत्र-1 सामान्य योग्यता परीक्षा (अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण)	01	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-2 भौतिक विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन)	02	2 घंटे	200
प्रश्न पत्र-3 गणित	03	2 घंटे	200
कुल अंक			**600**

3. सभी विषयों के प्रश्न-पत्र में 'वस्तुपरक (बहु विकल्पीय उत्तर) प्रश्न' होंगे. प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही होंगे.

4. प्रश्न-पत्र में जहां आवश्यक हो एस.आई (S.I.) इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा.

5. प्रश्न-पत्र लगभग इण्टरमीडिएट स्तर के होंगे.

6. उम्मीदवार उत्तरों को अपने ही हाथ से लिखें. उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथापि दृष्टिहीन उम्मीदवारों को लेखन सहायक (स्क्राइव) की सहायता से परीक्षा में उत्तर लिखने की अनुमति होगी.

7. दृष्टिहीन उम्मीदवारों को दो घन्टे की अवधि के प्रत्येक प्रश्न पत्र (वस्तुनिष्ठ) में बीस मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा.

8. आयोग परीक्षा के किसी एक विषय या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है.

9. उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए केलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर सकते, अतः वे इन्हें परीक्षा भवन में न लाएं.

खण्ड-II
परीक्षा का पाठ्यक्रम
प्रश्न पत्र-I

(i) अंग्रेजी

प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनमें उम्मीदवार की समझ और भाषा पर अधिकार का पता लग सके.

(ii) सामान्य ज्ञान

प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिसमें उम्मीदवार को अपने चारों ओर के वातावरण और सामाजिक व्यवस्थाओं की सामान्य जानकारी का परीक्षण करना है. प्रश्न के उत्तरों का स्तर उस स्तर का होगा जैसा कि 12वीं कक्षा या समकक्ष स्तर के विद्यार्थियों का होता है.

व्यक्ति और उसका परिवेश :

जीवन का विकास, पौधे और पशु, वंशागत और परिवेश, आनुवंशिकी, प्रकोष्ठ-क्रोमोसोम, जीन्स, मानव शरीर की जानकारी-पोषाहार, संतुलित भोजन, प्रति-स्थायी खाद्य, महामारियों और सामान्य रोगों की रोकथाम सहित लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वातावरणीय प्रदूषण और उसकी रोकथाम, खाद्य अपमिश्रण, खाद्यानों और उनसे निर्मित उत्पादों का सही प्रकार से स्टोर करना तथा परीक्षण, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या नियंत्रण, खाद्य और कच्चे सामान का उत्पादन, पशुओं तथा पौधों का संप्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान, खाद और उर्वरक, फसल रक्षण उपाय, अधिकतम किस्में और हरित क्रांति, भारत के मुख्य अनाज और नकदी फसलें. सौर परिवार और पृथ्वी, ऋतुएं, जलवायु, मौसम, भूमि-इनकी रचना और अपरदन, वन तथा उनके उपयोग, प्राकृतिक संकट (चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्‌गार). पर्वत और नदियां और भारत में सिंचाई के लिए उनका योगदान, भारत में प्राकृतिक साधनों और उद्योगों का वितरण, तेल सहित भूगत खनिजों की खोज, भारत के वनस्पतिजात और प्राणिजात के विषय संदर्भ के साथ प्राकृतिक साधन.

भारत का इतिहास, राजनीति और समाज :

वैदिक, महावीर, बुद्ध, मौर्य, शुंग, आन्ध्र, कुशान, गुप्तकाल (मौर्य कालीन स्तंभ, स्तूप, कन्दराएं, सांची, मथुरा और गन्धर्व विश्वविद्यालय मंदिर वास्तुकला अजन्ता और एलोरा).

इस्लाम के आने के साथ नई शक्तियों की उत्पत्ति और व्यापक संबंधों की स्थापना. सामन्तवाद से पूंजीवाद में स्थानान्तरण, यूरोपीय संबंधों की शुरूआत. भारत के ब्रिटिश शासन की स्थापना. राष्ट्रीयवाद और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय संग्राम.

भारत का संविधान और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं- लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समानता के अवसर और सरकार की संसदीय प्रणाली प्रमुख-राजनैतिक विचार धाराएं-लोकतंत्र, समाजवाद, साम्यवाद और अहिंसा के गांधीवाद विचार. भारतीय दल, प्रभावशाली गुट, लोकम और प्रेस, चुनाव प्रणाली. भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्षता-शस्त्र निर्माण होड़, शक्ति संतुलन, विश्व संगठन-राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक. पिछले दो वर्षों के दौरान भारत और विदेशों में घटित प्रमुख घटनाएं (खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलाप सहित).

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं-जाति व्यवस्था से हाल में हुए परिवर्तनों और दृष्टिकोण, अल्पसंख्यक सामाजिक संस्थाएं-विवाह, परिवार, धर्म और संस्कृति संक्रमण.

श्रम विभाजन, सहकारिता, टकराव और प्रतियोगिता, सामाजिक नियंत्रण, पुरस्कार और सभा, कला, कानून, रीतिरिवाज, गलत प्रचार, लोकमत, सामाजिक, नियंत्रण की एजेंसियों-परिवार, धर्म, राज्य शैक्षिक संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन के कारण, आर्थिक, औद्योगिकीय, जनसांख्यिकीय, संस्कृतिक क्रांति की संकल्पना.

भारत में सामाजिक विघटन

जातिवाद, साम्प्रदायिकता, जनजीवन में भ्रष्टाचार युवक अशांति, भीख मांगना, औषध, अपराधवृत्त और अपराध, गरीबी और बेरोजगारी,

भारत में सामाजिक योजना और सामुदायिक विकास कल्याण और श्रम कल्याण, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण.

धन कराधान, मूल्य जनसांख्यिकीय, दृष्टिकोण राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास, निजी और लोक क्षेत्र, योजना में आर्थिक और गैर आर्थिक कारण, संतुलित बनाम असंतुलित विकास, कृषि बनाम औद्योगिक विकास, स्फीति और साधन जुटाने के संबंध में मूल्य स्थिरीकरण समस्याएं, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं.

(iii) मनोवैज्ञानिक परीक्षण

प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनमें उम्मीदवारों को बुनियादी जानकारी और यांत्रिक अभिरूचि का मूल्यांकन हो सके.

प्रश्न पत्र II

(i) भौतिकी

वर्नियर, स्क्रूगेट, स्फैरोमीटर और आप्टीकल लीवर का प्रयोग करते हुए लंबाई की माप.

समय और द्रव्यमान का माप :

सरल रैखिक गति और विस्थापन, वेग और त्वरण के बीच संबंध.

न्यूटन के गति का नियम, संवेग, आवेग, कार्य, ऊर्जा और शक्ति.

घर्षण गुणांक :

बल क्रिया के अंतर्गत पिंडों का संतुलन बल का आघूर्ण युगपत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत. पलायन वेग. गुरुत्व के कारण त्वरण, द्रव्यमान तथा भार. गुरुत्व केन्द्र. एक समान चक्रीय गति, अभिकेन्द्र बल. सरल आवर्त गति, सरल लोलक. द्रव में दबाव और इसकी विभिन्न गहराई. पास्कल का नियम. आर्कमिडीज का सिद्धांत, तैरने वाले पिण्ड, परिवेशी दबाव और इसकी माप.

तापमान और इसकी माप. तापीय प्रसार. गैस नियम और परम ताप. विशिष्ट ऊष्मा. गुप्त उष्मा और उसकी मांप. गैसों की विशिष्ट उष्मा. उष्मा का यांत्रिक समकक्ष. आंतरिक ऊर्जा और उष्मागति का पहला नियम, समपाती और रुदोष्म परिवर्तन.

उष्मा संचरण; तापीय चालकता :

तरंग गति, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें, प्रगामी और अप्रगामी तरंगें. गैस में ध्वनि का वेग और विविध कारणों पर निर्भरता. अनुनाद परिघटन (वायु स्तंभ और रज्जु).

प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वक्र दर्पणों और लैंसों द्वारा बिंब रचना. सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी (दृष्टि दोष).

प्रिज्म : विचलन और प्रकीर्णन. न्यूनतम विचलन दृश्य स्पेक्ट्रम.

छड़ चुम्बक का क्षेत्र, चुम्बकीय आघूर्ण. भू-चुम्बकीय क्षेत्र के तत्व. चुम्बकात्वमापी. डाया, पैरा और फेरी चुम्बकत्व.

विद्युत चार्ज, विद्युत क्षेत्र और विभव : कूलाम्ब नियम.

विद्युत धारा-विद्युत सेल, ईएमएफ, प्रतिरोध, एमीटर और बोल्टमीटर. ओहम का नियम : श्रेणी और समान्तर में प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और चालकता, धारा का तापन प्रभाव.

व्हीटस्टोन ब्रिज, विभवमापी :

धारा का चुम्बकीय प्रभाव; सीधे तार, कुंडली और सेलिनावाड : विद्युत चुम्बक, विद्युत-घंटी, चुम्बकीय क्षेत्र में चालक वाली धारा पद बल; चल कुंडली- धारामापी, एमीटर या बोल्टमीटर परिवर्तन, धारा के रासायनिक प्रभाव; प्राथमिक और स्टोरेज सेल में उनकी क्रियाविधि, विद्युत अपघटन के नियम. विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा; सरल एसी तथा डीसी जनित्र, ट्रांसफार्मर, अपघटन कुंडली.

कैथोड किरणों, इलेक्ट्रान की खोज, परमाणु का बोहर माडल, डायोड और परिशोधक के रूप में इसके उपयोग.

एक्स किरणों का उत्पादन, गुण और उपयोग रेडियोधर्मिता-एल्फा, बीटा और गामा किरणें, नाभिकीय, ऊर्जा विखंडन और संलयन, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, श्रृंखला अभिक्रिया.

(ii) रसायन विज्ञान

भौतिकी रसायन विज्ञान :

1. परमाणु संरचना, संक्षेप में पूर्ण माडल. क्रिविम माडल के रूप में परमाणु, कक्षाएं परिसंकल्पना. क्वाण्टम संख्या और उनकी विशेषता; केवल आरम्भिक अभिक्रिया. पाली का अपवर्जन सिद्धांत. इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. अफन सिद्धांत, एसपीडी और एफ ब्लाक तत्व.

आवर्ती वर्गीकरण : केवल दीर्घ रूप. आवर्त और इलैक्ट्रॉनिक विन्यास. परमाणु अनुपात. आवर्तक और ग्रुपों में विद्युत नकारात्मकता.

2. रासायनिक आबंधन, इलैक्ट्रोलेट, कोबलेंट कोर्डिनेट की ब्लेंट बंधन. जा. तथा एक्स. बंधनों के बंधन गुण, जल हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनियम क्लोराइड जैसे सरल अणुओं के आकार, मोलेक्युलर संबंध और हाइड्रोजन आबंधन.

3. रासायनिक अभिक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन, उष्मा उन्मीची उष्माशोती अभिक्रिया. उष्मागतिकी के प्रथम नियम का प्रयोग. स्थिर उष्मा संकलन की हैस का नियम.

4. रासायनिक संकलन और अभिक्रिया की दरें. द्रव्यमान व क्रिया का नियम. दबाव के प्रभाव. तापमान और अभिक्रिया दर पर केन्द्रीयकरण (ला चेटलियर के सिद्धांत पर आधारित गुणात्मक अभिक्रिया), आणु वक्रता, प्रथम और द्वितीय क्रम अभिक्रियाएं. संक्रियमण का ऊर्जा परिकल्पना. अमोनिया और सल्फर ट्राइआक्साइड के निर्माण के लिए प्रयोग.

5. विलयन, वास्तविक विलयन, कोलोडल विलयन और स्थगन. टन विलयनों के अनुसंख्य गुणधर्म और विलान पदार्थों के अणु भार निश्चित करना. क्वाली बिंदुओं का उनयन, हिमांक अवसादन. अस्मेट दबाव. राल्ट का नियम (केवल अनुष्मागतिकी अभिक्रिया).

6. विद्युत रसायन विज्ञान : विद्युत अपघटन. विद्युत अपघटन का फैराडे नियम. आयामी संयलन. घुलनशीलता उत्पाद. प्रबल तथा क्षीण अपघटन. अम्ल तथा बेस (लोबल तथा बुनिस्टाड की परिकल्पना) पीएच तथा उभय प्रतिरोधी विलयन.

7. आक्सीजन उपचयन : आधुनिक इलेक्ट्रानिकी परिकल्पना और आक्सीजन अंक.

8. प्राकृतिक तथा कृत्रिम विघटनामिकता : नाभिकीय विखंडन और संलयन. विघट नाभिक समस्थानिकों के उपयोग.

अजैव रसायन विज्ञान :

तत्वों का संक्षिप्त अभिक्रिया और उनके औद्योगिकीय महत्वपूर्ण मिश्रण :

1. हाइड्रोजन : आवर्त तालिका में स्थित हाइड्रोजन का समस्थानिक-गुणात्मक तथा घनात्मक विद्युति जल, कठोर तथा मृदु जल, उद्योगों में जल का उपयोग. भारी पानी और इसके उपयोग.

2. ग्रुप 1 तत्व. सोडियम हाइड्रोआक्साइड का विनिर्माण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराईड.

3. ग्रुप 2 तत्व. आश तथा बुझा हुआ चूना. जिप्सम. प्लास्टर ऑफ पेरिस. मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशिया.

4. ग्रुप 3 तत्व वीरक्स, एलमिया और एलम.

5. ग्रुप 4 तत्व कोयला, लकड़ी तथा ठोस ईंधन. सिलिकेट, जोलिटेस तथा अर्द्ध सुचालक. शीशा (प्रारंभिक अभिक्रिया).

6. ग्रुप 5 तत्व अमोनिया ओर नाइट्रिक अम्ल का विनिर्माण, शैल फास्फेट और रिनापट दियासिलाई.

7. ग्रुप 6 तत्व हाइड्रोजन और आक्साइड, गंधक की उपरूपता सल्फ्यूरिक अम्ल गंधक के आक्साइड.

8. ग्रुप 7 तत्व. फलोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का निर्माण तथा उपयोग. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ब्लीचिंग पाउडर.

9. ग्रुप 0. (उत्कृष्ट गैस हीलियम और इसके उपयोग).

10. धातुकर्मीय संसाधन-तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, जस्ता तथा सीसे के विशिष्ट संदर्भ के साथ धातुओं को निकालने की सामान्य पद्यतियां. इन धातुओं को निकालने की सामान्य पद्यतियां. इन धातुओं की सर्वनिष्ट मिश्र धातु, निकिल मैगनीज इस्पात.

कार्बनिक रसायन विज्ञान :

1. कार्बन टेट्राहेड्रल स्वरूप. संस्करण जी.एन. बंधन तथा उनकी सापेक्षित शक्ति. जल तथा बहुबंधन अणु का आकार. ज्योमितीय तथा प्रकाशीय समावयवता.

2. एलकेन; एलकीन और एलकाईन के तैयार करने के गुण धर्मी और अभिक्रियाओं की समान्य पद्धतियां, पैट्रोलियम ओर इसका परिष्करण, ईंधन के रूप में इसके उपयोग.

एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन : अनुवाद और एरोमेटिकता. बैन्जीन तथा नेप्थालीन और इसके सदृश्य. एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं.

3. हैलोजन व्युत्पत्तियां; क्लोरोफार्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबैनजीन डीडीटी और गैमक्सीन.

4. हाइड्राक्सी मिश्रण-प्राथमिक और द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल, मिथनोल, एथलोन, ग्लीसरीन और फिनाल के तैयार करने, गुणधर्म उपयोग. एलिफेटिक कार्बन अणु पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं.

5. ईथर-डाइईथाइल ईथर.

6. एल्डीहाइड्स और केन्टास. फार्मलडीहाइड, एसीटेलाइज पेजेल्डाहाइड, एसोटीन एसेटोफिनोन.

7. नाइट्रो योगक एमीन, नाईट्रोवेन्जीन, टीएनटी एनीलाम डाइजीनियम योगिक. एजोडाइज.

8. कार्बोकसीलिक अम्ल : फोर्मीक, एसीटिक, बेनजोइक और सेलिसिलिक अम्ल, एसीटाइल सेलिसिलिक अम्ल.

9. एस्टर एथालरोसीटड, मिथइल, सेलीसिलेटस, ईथाइल बैंजोइट.

10. पालीमर्स : पोलीथीन टैफलान, पसपैक्स, कृत्रिम रबड़, नायलान और पोलिस्टलत.

11. कार्बोहाइट्स, वसा और लिपीडस, एमीनो अम्ल और प्रोटीन विटामिन और हार्मोन्स की असंरचनात्मक अभिक्रिया.

प्रश्न पत्र III

गणित

1. बीज गणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों का सम्मिलन व सर्वनिष्ठ, समुच्चय का पूरक समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समष्टीय समुच्चय और घात समुच्चय, वेन आरेख और साधारण अनुप्रयोग. दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन, संबंध व प्रतिचित्रण-उदाहरण, समुच्चय पर द्वि-आधारी संक्रिया-उदाहरण.

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण. संमिश्र संख्याएं : मापांक, कोणांक, संमिश्र संख्याओं पर बीजगणितीय संक्रिया. ईकाई का धनमूल. संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली, दशमलव संख्या का द्विआधारी संख्या में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन. अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी. अंकगणितीय श्रेणी, ज्यामितीय श्रेणी तथा हरात्मक श्रेणी को अन्तर्ग्रस्त करके श्रेणियों का संकलन. वास्तविक गुणांकों के द्विघात समीकरण. द्विघात व्यंजक, चरम मान. क्रमचय तथा संचय, द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग.

आव्यूह तथा सारणिक : आव्यूहों के प्रकार, समानता, आव्यूह योग तथा अदिश गुणन गुणधर्म, गुणन-गुणधर्म आव्यूह गुणन-अक्रम-विनियम तथा योग के सापेक्ष वितरण गुणधर्म, आव्यूह-परिवर्त, आव्यूह का सारणिक, उपसारणिक तथा सह-खण्ड. सारणिकों के गुणधर्म. अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह-वर्ग आव्यूह का सहखंडज तथा व्युत्क्रम. दो तथा तीन चरों में रेखिक समीकरणों के समूह का हल-निराकरण विधि, क्रैमर नियम तथा आव्यूह व्युत्क्रमण विधि. (m पंक्ति तथा n स्तंभ सहित आव्यूह जहां m, $n \leq 3$ माना जाना है).

समूह की धारणा, समूह की कोटि, आबेली समूह. तत्समक तथा व्युत्क्रम अवयव-साधारण उदाहरणों द्वारा समझना.

2. त्रिकोणमिति : संकलन एवं व्यवकलन-सूत्र, बहुल तथा अपवर्तक कोण, गुणनफल तथा गुणनखंड सूत्र, व्युत्क्रम त्रिकोणमितिय फलन-प्रांत, रेंज तथा ग्राफ. द-मायवर प्रमेय, साइन तथा कोसाइन के बहुगुणकों की श्रेणी में साइन nθ तथा कोस nθ-का प्रसार. साधारण त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल. अनुप्रयोग : ऊंचाई व दूरी.

3. विश्लेषक ज्यामिति (दो विमाएं) : आयतीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी, विभिन्न प्रकारों में सरल रेखा के समीकरण, दो रेखाओं को मध्य कोण, एक रेख से एक बिन्दु की दूरी. अक्षों का रूपांतरण. सरल रेखाओं के युग्म, x तथा y में द्वितीय डिग्री के सामान्य समीकरण-सरल रेखाओं के युग्म को निरूपित करने की शर्तें, प्रतिच्छेद बिन्दु, दो रेखाओं का मध्य कोण. मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत का समीकरण, एक बिन्दु पर स्पर्शरेखा तथा अभिलंब के समीकरण, दो वृत्तों की लंब कोणीयता, परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानव समीकरण-प्राचलिक समीकरण, एक बिन्दु पर स्पर्शरेखा तथा अभिलंब के कार्तीय तथा प्राचलिक दोनों प्रकार के समीकरण.

4. अवकल गणित : वास्तविक मान फलन की अवधारण-प्रांत, रेंज व ग्राफ, संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, वास्तविक फलनों का बीजगणित. बहुपद, परिमेय, त्रिकोणमितीय, चरघांतांकी, तथा लघु गणकीय. (लागोरिथमीय) फलनों के उदाहरण. सीमांत की धारणा, मानक सीमांत उदाहरण. फलनों को सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीजगणितीय संक्रिया. एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलज, एक अवकलज के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग. फलनों के योग, गुणनफल और भागफल के अवकलज, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज, श्रृंखला नियम. द्वितीय क्रम अवकलज. रौले का प्रमेय (केवल प्रकथम), वर्धमान तथा ह्रासमान फलन. एक फलन में उच्चिष्ठ, अल्पिष्ठ, उच्चतम तथा लघुतम मानों की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग.

5. समाकलन गणित तथा अवकल समीकरण :

समाकलन गणित : अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडश : समाकलन, बीजीय व्यंजक त्रिकोणमितीय, चरघांतांकी तथा अतिपरवलयिक फलनों को अंतर्ग्रस्त करके मानक समाकलन निश्चित समाकलनों का मानांकन-वक्र रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों पर निर्धारण-अनुप्रयोग.

अवकलन समीकरण : अवकल समीकरण की कोटि तथा डिग्री की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकल समीकरण की रचना. अवकल समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल. विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकल समीकरणों का हल-उदाहरण. नियत गुणांकों के द्वितीय कोटि समघात अवकल समीकरण का हल.

6. सदिश तथा इसके अनुप्रयोग : सदिश का परिमाण तथा दिशा, समान सदिश, इकाई सदिश, शून्य संदिश, दो तथा तीन विभाओं में सदिश, स्थिति सदिश. सदिश का अदिश द्वारा गुणन, दो सदिशों का योग व अन्तर, योग का समांतर चतुर्भुज नियम तथा त्रिभुज नियम. सदिशों का गुणन-दो सदिशों का आदि गुणनफल या बिन्दु गुणनफल, लम्बता, क्रम विनिमेय तथा बंटन गुणधर्म, दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रास गुणनफल-इसके गुण, दिए गए दो सदिशों का लम्ब इकाई सदिश. अदिश तथा सदिश त्रिक गुणनफल. सदिश रूप से एक रेखा, समतल तथा गोले का समकीरण-साधारण प्रश्न, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा सदिश पद्धति द्वारा समतल ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति के प्रश्न. बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य.

7. सांख्यिकी तथा प्रायिकता : सांख्यिकी : बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण. ग्राफी निरूपण-आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक. प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना. सहसंबंध तथा समाश्रयण.

प्रायिकता : यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निश्शेष घटनाएं, असंभव तथा निश्चित घटनाएं. घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ. पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं. प्रायिकता की परिभाषा : चिरसम्मत और सांख्यिकीय-उदाहरण प्रायिकता का प्रारंभिक प्रमेय. साधारण प्रश्न. सप्रतिबंध प्रायिकता, बेज प्रमेय-साधारण प्रश्न. प्रतिदर्श समष्टि पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर. द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण.

व्यक्तित्व परीक्षण

प्रत्येक उम्मीदवार का एक ऐसे बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा जिसके सामने उम्मीदवार के शैक्षिक तथा बाहरी दोनों प्रकार के जीवन वृत्त का अभिलेख होगा. उनसे सामान्य हित के मामलों से संबद्ध प्रश्न पूछे जाएंगे. उनके नेतृत्व में पहलशक्ति और बौद्धिक उत्सुकता, व्यवहार कुशलता और अन्य सामाजिक गुणों, मानसिक और शारीरिक शक्ति, व्यवहारिक प्रयोग की शक्ति और चरित्र की सत्यनिष्ठा के गुणों का मूल्यांकन करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा.

परिशिष्ट-II

ऑन लाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार वेबसाइट **http://www.upsconline.nic.in** का उपयोग करके ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑन लाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- ऑन लाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेनू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा.
- उम्मीदवारों को ₹ 50/- (केवल पचास रुपये) के शुल्क (महिला, अ.जा, अ.ज.जा. तथा शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों, जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, को छोड़कर) को या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टरक्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है.
- ऑन लाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर केवल **.जेपीजी** प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक 40 केबी से अधिक और 3 केबी से कम नहीं हो.
- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 22 अक्तूबर, 2011 से 21 नवम्बर, 2011 रात 11.59 बजे** तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निरूपयोज्य होगा.
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदनपत्र नहीं भेजने चाहिए तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदनपत्र भेजता/भेजती है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदनपत्र हर तरह से पूर्ण है.
- एक से अधिक आवेदनपत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदनपत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरईडी के लिए नहीं किया जाएगा.
- **उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।**

परिशिष्ट-III

इस परीक्षा के आधार पर चुने गए स्पेशल क्लास अप्रेन्टिसेज हेतु अप्रेन्टिसशिप की शर्तें

अप्रेन्टिसशिप की शर्तों का उल्लेख इण्डियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में निर्धारित करार पत्र में कर दिया जाएगा. इसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

1. स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का करार करना होगा कि सरकार की संतुष्टि के अनुरूप स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस का प्रशिक्षण पूरा करने में असफल रहने वाले यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेलवे सेवा में परीवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में प्रस्तावित नियुक्ति को स्वीकार न करने की स्थिति में जो धन उसे दिया गया है या सरकार द्वारा जो धन उस पर खर्च किया गया है, उसको लौटाने के लिए वह तथा उसका एक प्रतिभू संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से बाध्य होंगे. सरकार को खर्च की राशि के बारे में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार होगा अप्रेन्टिस की शुरू में एक चार वर्षीय प्रौद्योगिकी तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण इस आशय के बाधक अनुबंध पत्र के अंतर्गत लेना होगा कि यदि जरूरत पड़ी तो उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर भारतीय रेलवे में सेवा करनी पड़ेगी. उसकी 'अप्रेन्टिसशिप एक वर्ष बाद दूसरे वर्ष तभी रखी जाएगी जब जिस अधिकारी के अधीन वह कार्य कर रहा है उससे संतोषजनक रिपोर्ट मिल जाती है. अप्रेन्टिसशिप के दौरान यदि किसी समय वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में संतुष्ट नहीं करता है कि वह अच्छी प्रगति कर रहा है तो उसे अप्रेन्टिसशिप से अलग कर दिया जाएगा.

टिप्पणी : भारत सरकार अपनी विवक्षा पर प्रशिक्षण की अवधि तथा कोर्स में कोई परिवर्तन या संशोधन कर सकती है.

2. उक्त संदर्भित प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण उनके चार वर्षों की अप्रेन्टिसशिप के लिए किसी रेलवे कार्यशाला में दिया जाएगा. इस अवधि के अंदर स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेन्टिस को बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (रांची) से यांत्रिक इंजीनियरी में इंजीनियरी स्नातक की परीक्षा पास करनी होगी. अप्रेन्टिसों को पहले और दूसरे वर्षों के दौरान 9100/- रु. प्रतिमाह और तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान 9400/- रु. प्रतिमाह तथा चौथे वर्ष के अंतिम छः महीनों के लिए 9700/- प्रति माह छात्रवृत्ति अनुमत है. अप्रेन्टिसशिप के दौरान उम्मीदवारों को सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे कुल आठ सिमेस्टर परीक्षाएं होंगी जिनमें पास होना अनिवार्य है. किसी भी परीक्षा में असफल होने पर, उनके निष्पादन के अनुसार उन्हें अनुपूरक परीक्षा में बैठने को कहा जा सकता है अथवा अगले लोअर बैच में भेजा जा सकता है अथवा अप्रेन्टिसशिप से हटाया जा सकता है.

टिप्पणी : सिवाए जैसा कि नीचे पैराग्राफ 4 में व्यवस्था है या उन मामलों में जहां वह अनाधीनता, असंयम या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है या कोई करार भंग कर दिया जाता है अप्रेन्टिसशिप से हटाने के लिए एक सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा.

3. उपर्युक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रशिक्षण का चौथा वर्ष पूरा होने के बाद अप्रेन्टिसों की एक सूची दी गई परीक्षा या अप्रेन्टिसशिप की अवधि के दौरान प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर योग्यताक्रम में तैयार की जाएगी. सफल अप्रेन्टिस यांत्रिकी इंजीनियरों को भारतीय रेल सेवा में 18 महीने की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

नोट : किसी अप्रेन्टिस को अर्हक मानदण्ड प्राप्त किए तभी माना जाएगा जब वह अपने प्रशिक्षण की आठ सिमेस्टर परीक्षा के दौरान सभी परीक्षाओं में समग्र रूप में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करे तथा निदेशक, भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियर्स संस्थान, जमालपुर तथा मुख्य कार्य प्रबंधक, जमालपुर कार्यशाला की रिपोर्टों में 60% अंक प्राप्त करें, बशर्ते कि आठ सिमेस्टर परीक्षा के प्रत्येक में वह कुल 40% अंक प्राप्त करता है तथा सभी विषयों में वह कम से कम 40% अंक प्राप्त करता है.

4. असफल प्रशिक्षुओं को, एक महीना पहले यह सूचना देकर कि उसकी प्रशिक्षता असफल रही, प्रशिक्षता से निवृत्त कर दिया जाएगा.

5. अप्रेन्टिसशिप के चार वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद नीचे पैरा 6 में परन्तुक की शर्तों के अनुसार अप्रेन्टिसेज को यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा. यांत्रिकी इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा के अधिकारियों के वेतन एवं सेवा की सामान्य शर्तों के विवरण भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नियमावली के परिशिष्ट-4 में दिए गए हैं.

6. परिवीक्षा की अवधि 18 महीने होगी. परिवीक्षकों के रूप में नियुक्ति और वेतन का आरंभ (क) अप्रेन्टिसशिप की 4 वर्ष की अवधि के समाप्त होने की तारीख से या (ख) प्रशिक्षण के पूरा करने की वास्तविक तारीख से जो भी बाद की हो, माना जाएगा.

बशर्ते, तथापि, वे स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेटिसेज जो अप्रेन्टिसशिप के उनके चार वर्षों के अंदर बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (रांची) से इंजीनियरी स्नातक होने में असफल रहे हों उन्हें परिवीक्षु के रूप में उस तारीख से नियुक्त माना जाएगा जिस दिन से सभी आठों सेमिस्टरों में पूरी तरह से पास हो गए हों.

नोट : (1) परिवीक्षकों को सेवा में बनाए रखने और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत करने के बारे में तब ही विचार किया जाएगा जब तक उनके कार्य के संबंध में वर्ष के अंत में संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए.

(2) किसी भी ओर से तीन मास का नोटिस दिए जाने पर परिवीक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.

परिशिष्ट-IV

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म की एच.बी. पेंसिल, रबड़, पेंसिल शार्पनर तथा नीली या काली स्याही वाले पेन उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे.

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, पेजर, सेल्युलर फोन आदि परीक्षा हाल में न लाएं.

मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है लाना मना है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है. इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा.

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा.

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा.

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा.

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा.

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें. ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा.

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक स्याही अथवा बाल प्वाइंट पैन से लिखें. उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक (पेंसिल से) कूटबद्ध करें. उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं. यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें.

(ii) अनुक्रमांक लिखते समय उम्मीदवार और निरीक्षक को सभी शुद्धियों और परिवर्तनों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है. यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए.

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं. उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें.

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कम्प्यूटरीकृत मशीनों पर होगा अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए. **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल एचबी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए.** बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले या नीले कलम का इस्तेमाल करना चाहिए. चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए.

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

"वस्तुपरक" परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे. प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है.

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा. इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3 .... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे. आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है. यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा. किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं. तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा.

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं. प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत छपे होते हैं. जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को पेंसिल से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है. उत्तर पत्रक पर वृत्त को काला करने के लिए स्याही का प्रयोग न करें.**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार पेंसिल से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है.

उदाहरण (a) ● (c) (d)

यदि निशान गलत लग गया है तो उसे अच्छी तरह से मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगाएं.

11. उपस्थिति सूची पर हस्ताक्षर

आपको दिए गए उत्तर पत्रक और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला उपस्थिति सूची में लिखनी आवश्यक है और अपने नाम के सामने उपयुक्त कालम में हस्ताक्षर करने हैं. उपयुक्त विवरणों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन को उम्मीदवार द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए.

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें. यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है.

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें. आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्ताकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे.

उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है. यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए.

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा.

स्याही से लिखें

Centre	Subject	S. Code		Roll Number						
केन्द्र	विषय	विषय कोड			अनुक्रमांक					

मान लो यदि आप सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको स्याही या बाल प्वाइंट पेन से इस प्रकार भरना चाहिए.*

Centre	Subject	S. Code			Roll Number						
केन्द्र	विषय	विषय कोड	0	1	अनुक्रमांक	0	8	1	2	7	6
दिल्ली	पेपर-I सामान्य योग्यता परीक्षा (ए)										

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में स्याही या बाल प्वाइंट पेन से लिखें.

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं.

आप स्याही से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है. यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें.

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूंढे. जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करें. कूटबद्ध करने का कार्य एच.बी. पेंसिल से करें. केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है. परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए.

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के सामान्य योग्यता विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 01 लिखनी है. इसे इस प्रकार लिखें.

Booklet Series (A)	Subject	0	1
पुस्तिका क्रम (ए)	विषय	0	1
●		●	⓪
Ⓑ		①	●
Ⓒ		②	②
Ⓓ		③	③
		④	④
		⑤	⑤
		⑥	⑥
		⑦	⑦
		⑧	⑧
		⑨	⑨

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '0' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कालम में) और 1 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कालम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें. आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे. तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें. इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे.

Roll Number

0	8	1	2	7	6
●	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨
①	①	●	①	①	①
②	②	②	●	②	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦	●	⑦
⑧	●	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है. यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसे पूरी तरह मिटाकर पुनः ठीक से भरें.

*यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है.

डीएवीपी 55104/14/0042/1112 **रो.स. 30/84**